वित्तीय स्वीकृति

संख्या-7/2018/715/52-3-18-सा(9)/18

प्रेषक,

भवेश रंजन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 □□□□

□□ में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण □□वक्फ □□□□-3, □□□□: दिनांक 31 मार्च, 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष □□ रही बचतों □□ पुर्नविनियोग दे□ माध्यम □□शुल्कप्रतिपूर्ति य□□□□ की लम्बित □□□ की पूर्ति किये □□□□□□□□□□ प्रदान किये □□□□□□□□□ में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक □ □□□ पत्र □0-6282/□0□0□0□0-982/□□□□0□□0/2017-18 टी0□□0, दिनांक 27.03.2018 □□संदर्भ में ग□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□कि □□□वित्तीय वर्ष 2017-18 में शुल्कप्रतिपूर्ति यो□□□ □□ □□□□□□ प्राविधानित समस्त □□□□□ रू0 15000.00 □□□ स्वीकृत □□ □ □□□निर्वतन पर □□□ □□□ □□

2. उल्लेखनीय □□कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति यो□□□ □□ में प्राविधानित धनरा□□ रू0 14867.000 □□□ □□ सापेक्ष संभावित बचतों रू0 1822.27000 □□□ □□शुल्कप्रतिपूर्ति योज□□ □□ □□□रू0 18,22,27,000/- (रू0 अठ्ठारह □□□□ □□□□ □□□ सत्ताइस □□□□ मात्र) की □□□□□ निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के □□□□ पुनर्विनियोग क□ स्वीकृत किये □□□की श्री राज्यपाल □□□□□ सहर्ष स्वीकृति प्रदान □□□□हैं:-

(1) □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □ □□□□ व्यय की आवश्यकता □□□□□□ ही किया □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ आहरित □□ बैंक/□□□ □□ में □□□□ नहीं किया □□□□□□

(2) उक्त स्वीकृत □□□□□□ □□ सापेक्ष पात्र छात्र/छात्राओं □□ शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत भुग□□□ स्वरूप दे□ □□□□□ □□□□□□ □□माध्यम □□□□□□□□□बैंक ख□□□में अन्तरित की □□□□□

(3) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□ सापेक्ष व्यय □□□□□ □□ विवरण □□□ □□□□□□□ प्रमाण पत्र □□ मार्च, 2018 की समाप्ति प□ □□□□ □□ उपलब्ध □□□□जायेंगे।

(4) किसी □□ □□□ में उक्त □□□□□ □□किसी अन्य □□ में पुनर्विनियोग नहीं किया □□□□□

(5) जिन विद्यालयों/मदरसों □□ विरूद्ध छात्रवृत्ति के□ □□□□ में □□□□□□□□□□□□की □□□□□ □□ □□□□छात्रवृत्ति की □□□□□ की □□□□□□□□□□□□की प्रबल □□□□□ □□ दृष्टिगत र□□□□□□□ विद्यालयों/मदरसों □□छात्र/छात्राओं द्व□ छात्रवृत्ति का □□□□ छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या □□ पूर्ण सत्यापन □□□□ ही किया □□□□□ यदि फिर □□ □□□□□ □□वितरण में किसी प्रकार की □□□□□□□□ प्रकाश में □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ अधिकारी पूर्ण रूप □□उत्तरदायी होंगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) □□□□□ □□ □□□□ किसी प्रकार □□ व्यय □□□□□□ प्राधिकार नहीं □□ □□ जिन मामलों में □0प्र0 □□□ □□□□ □□ वित्तीय नि□□ संग्रहों तथा स्थायी आदेशों □□ अन्तर्गत राज्य □□□□ □□□□ अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की □□□ आवश्यक □□ □□ मामलों में व्यय □□□□□ पूर्व □□□ स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर □□ □□□□

(7) छात्रवृ□ वितरण □□□□□ में □□□□ द्वारा निर्गत दशमोत्तर छात्रवृ□ □□□□□□□□ 2017 □□□ □□ □□□□ में □□□□-□□□ □□ निर्गत विभिन्न शासनादेशों □□ □□□□□□ सुनिश्चित किया □□□□□

(8) उक्त स्वीकृत □□□□□□ □□ सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2017-18 में शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का ही □□□□□ किया □□□□□

3- उपरोक्त □□ □□□□□□□ व्यय □□□ वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□ व्ययक □□□□□□□ संख्या-48 □□ लेखाषीर्षक-2225-□□□□□□ जातियों, □□□□□□ जनजातियों □□□ अन्य पिछड़े वर्गो □□ कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों □□ कल्याण- 0303-अल्पसंख्यक स□□□□ □□ दशमोत्तर कक्षाओं □□ छात्रों/छात्राओं □□ छात्रवृत्ति- 21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन □□□ □□□□□ संख्या-48 □□ लेखाशीर्षक-2225-□□□□□□ जातियों, □□□□□□ जनजातियों □□□ अन्य पिछड़े वर्गो □□ कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0305-अल्पसंख्यक □□□□□ □□ दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं □□ □□□□□□ □□□/□□□□□ □□ विद्यार्थियों के समा□ विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन □□ पुर्नविनियोग द्वारा स्वीकृत की □□□□□

4- □□ □□□ वित्त विभाग □□ अशासकीय □0-790/□-11-538/□□-18, दिनांक 31 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी □□□□□ □□ निर्गत किये □□ □□□□□

भवदीय,

(□□□ □□□)
संयुक्त □□□

संख्या- 715 (1)/52-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं□ आवश्यक कार्यवाही □□ प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय □0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (□□ □□ हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□

3-कोषाधिकारी, □□□□ □□□, □□□□/वित्त □□ लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रा , □0प्र0 □□□□ शिक्षा परिषद, 704 , □□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (□□-व्ययक) □□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□

□□□□-3 □□□□□ □□□□/गार्ड फ□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण □□ वक्फ □□□□-1

आज्ञा □□

(□□□ □□□)
संयुक्त □□□

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in